सीबीईसी - 20/ 06/03 /2019 -जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी नीति स्कंध

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई, 2019

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय कर (सभी)
प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (निवारक) (सभी)
प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रदर्शनी हेतु या समनुदेशन के आधार पर विदेशों में भेजे गए माल के संबंधी स्पष्टीकरण के संबंध में ।

प्रदर्शनी के लिए या निर्यात संवर्धन के लिए समनुदेशन के आधार पर भारत से बाहर भेजे गए माल के संदर्भ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में व्यापार और उद्योग से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसा भेजा गया/विदेश ले जाया गया माल जब उन्हें भारत से भौतिक रूप से विदेश भेजा/निर्यात किया गया, निर्यात में पूरी तरह से या आंशिक रूप से केवल निश्चित अवधि के अंतराल के पश्चात क्रिस्टलीकृत होगा ।

2. व्यापार और उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के मद्देनजर और क्षेत्र संरचनाओं के कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने के मद्देनज़र, बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 (1) (एतद्पश्चात् "सीजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उत्तरवर्ती पैराग्राफ में विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करता है ।

3. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, किसी भी गतिविधि या संव्यवहार हेतु किसी आपूर्ति पर विचार किए जाने हेतु, उसे दोहरे(ट्विन) परीक्षणों को संतुष्ट करना होगा -

(i) यह किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिफल हेतु होना चाहिए; और

(ii) यह व्यवसाय के यथाक्रम या उसे आगे बढ़ाने में होना चाहिए ।

4. उपरोक्त का अपवाद सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित गतिविधियां हैं जिन्हें बिना प्रतिफल के भी आपूर्ति के रूप में मानी जाती हैं । इसके अलावा, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (21) (एतद्पश्चात् "आईजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में "आपूर्ति" को परिभाषित करता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इसका वही तात्पर्य होगा जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 में इसे नियत किया गया ।

5. आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 "शून्य दर आपूर्ति" से संबंधित है । उक्त धारा में निहित प्रावधान निम्नानुसार पढ़े गए हैं:

16. (1) "शून्य दर आपूर्ति" का अर्थ माल या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित आपूर्ति में से किसी से है, अर्थात्:–

(क) माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात; या

(ख) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के लिए सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति ।

इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल ऐसी 'आपूर्ति', जो या तो 'निर्यात' हैं या 'एसईजेड यूनिट/विकासकर्त्ता को 'आपूर्ति' है, शून्य दर आपूर्ति के रूप में योग्य होगी।

6. तदनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि सिवाय उन गतिविधियों को, जो सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्धारित परीक्षाओं को संतुष्ट करती है, को छोड़कर, प्रदर्शनी के लिए या निर्यात संवर्धन हेतु समनुदेशन के आधार पर माल (एतद्पश्चात् "निर्दिष्ट माल" के रूप में संदर्भित) भेजने/लेने की गतिविधि आपूर्ति का गठन नहीं करती है क्योंकि उक्त गतिविधि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 के दायरे में नहीं आती है क्योंकि उस समय विशेष पर कोई प्रतिफल नहीं है । चूंकि ऐसी गतिविधि कोई आपूर्ति नहीं है, इसलिए इसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में शामिल प्रावधानों के अनुसार 'शून्य दर आपूर्ति' के रूप में इसे नहीं माना जा सकता है ।

7. चूंकि भारत से बाहर निर्दिष्ट माल भेजने / लेने की गतिविधि कोई आपूर्ति नहीं है, अभिलेखों के रखरखाव, डिलीवरी चालान / कर चालान आदि जारी किए जाने के मुद्दों पर व्यापार और उद्योग द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है । इन मुद्दों की जांच की गई है और इनमें से प्रत्येक बिंदु पर स्पष्टीकरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	**मुद्दा**	**स्पष्टीकरण**
1.	क्या भारत से बाहर निर्दिष्ट माल भेजने / लेने के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी रिकॉर्ड को बनाए रखना आवश्यक है?	निर्दिष्ट माल में संव्यवहार करने वाला पंजीकृत व्यक्ति इस परिपत्र के **अनुलग्नक** में दिये गये प्रारूप के अनुसार ऐसे माल का रिकॉर्ड बनाए रखेगा ।
2.	भारत से बाहर निर्दिष्ट वस्तुओं को भेजने / लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?	क) जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, भारत से बाहर निर्दिष्ट माल भेजने / लेने की गतिविधि कोई आपूर्ति नहीं है । ख)उक्त गतिविधि "अनुमोदन के आधार पर बिक्री" की प्रकृति की है जिसमें माल विदेश में स्थित व्यक्ति की मंजूरी के लिए भारत से बाहर भेजा जाता है और केवल जब उक्त माल को मंजूरी दी जाती है तब भारत में स्थित निर्यातक से विदेशों में स्थित आयातक को वास्तविक आपूर्ति होती है । निर्दिष्ट वस्तुओं को भेजने / लेने की गतिविधि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 55(एतद्पश्चात् "सीजीएसटी नियमावली" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत आविष्ट की गई है । ग) निर्दिष्ट माल सीजीएसटी नियमावली के नियम 55 में निहित प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए डिलीवरी चालान के साथ होगा ।

		घ) जैसा कि ऊपर पैरा 6 में स्पष्ट किया गया है, भारत से बाहर निर्दिष्ट माल भेजने/जाने की गतिविधि शून्य-दर आपूर्ति नहीं है । अत:, किसी बॉन्ड या एलयूटी का निष्पादन, जैसा कि आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवश्यक है, की आवश्यकता यहां नहीं है ।
3.	भारत से बाहर भेजे गए/ले जाए गए निर्दिष्ट माल की आपूर्ति कब होती है?	क) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, भारत से बाहर भेजे गए/ले जाए गए निर्दिष्ट माल को निकालने की तिथि से छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर बेचा या वापस लाया जाना आवश्यक है । ख) यदि निर्दिष्ट माल न तो विदेश में बेचा जाता है और न ही उक्त अवधि के भीतर वापस लाया जाता है, तो निकालने की तिथि से छह माह की समाप्ति पर इसे आपूर्ति किया हुआ माना जाएगा। ग) यदि निर्दिष्ट माल छह महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर, पूर्णत: या आंशिक रूप से, विदेश में बेचा जाता है, तो ऐसी बिक्री की तिथि को बेची गई मात्रा के संबंध में आपूर्ति प्रभावित होती है ।
4.	क्या निर्धारित समय के भीतर जब पूर्णत: या आंशिक रूप से, भारत से बाहर भेजे गए/ले जाए गए निर्दिष्ट माल को वापस नहीं लाया जाता है, तो चालान जारी करना आवश्यक है?	क) जब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (**7**) में निर्धारित अवधि के अनुसार**,** भारत से बाहर भेजे गए/ले जाए गए माल को छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्णत: या आंशिक रूप से बेचा गया हो**,** तो प्रेषक, सीजीएसटी नियमावली के नियम 46 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 और धारा 31 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार, विदेश में बेची गई ऐसी निर्दिष्ट वस्तुओं की मात्रा के संबंध में एक कर चालान जारी करेगा ।

		ख) जब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (7) में यथा निर्धारित, छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर, पूर्णत: या आंशिक रूप से, भारत से बाहर भेजे गए/ले जाए गए निर्दिष्ट माल को न तो बेचा गया हो और न ही वापस लाया गया हो, तो प्रेषक को सीजीएसटी अधिनियम के नियम 46 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 और धारा 31 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार, न तो बेचे गए हैं और न ही वापस लाए गए, निर्दिष्ट माल की ऐसी मात्रा के संबंध में इसे निकालने जाने की तिथि से छह माह की समाप्ति पर एक कर चालान जारी करेगा ।
5.	क्या रिफंड के दावों को भारत से बाहर भेजे/ ले जाए गए निर्दिष्ट माल के संबंध में अधिमानित किया जा सकता है जो वापस नहीं लाया जा सकता?	क) जैसा कि ऊपर्युक्त पैरा 5 में स्पष्ट किया गया है, भारत से बाहर निर्दिष्ट माल को भेजने/ले जाने की गतिविधि शून्य-दर आपूर्ति नहीं है । ऐसा होने पर, माल भेजने वाले किसी भी रिफंड दावे को अधिमान नहीं दिया जा सकता है जब निर्दिष्ट माल को भारत से बाहर भेजा/ले जाया जाता है । ख) इससे आगे उपर्युक्त प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि आपूर्ति हुई है यह माना जाएगा: (i) यदि निर्दिष्ट माल न तो बेचा गया हो और न ही उक्त अवधि के भीतर वापस लाया गया हो, तो हटाए जाने की तिथि से छह माह की समाप्ति की तिथि पर; या (ii) बिक्री की तारीख पर, निर्दिष्ट माल की उस मात्रा के संबंध में जो छह माह की निर्दिष्ट अवधि के भीतर विदेशों में बेची गई है । ग) यह तदनुसार स्पष्ट किया जाता है कि प्रेषक

		उपर्युक्त प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में यथा स्पष्ट किया गया है, तिथियों पर कर चालानों को जारी किए जाने के पश्चात् माल की शून्य दर आपूर्ति के संबंध में, सीजीएसटी नियमावली के नियम 89 के उप-नियम(4) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (3) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार यदि वह अन्यथा रिफंड का पात्र है तो रिफंड दावे को अधिमान दे सकता है । यह और आगे स्पष्ट किया गया है कि रिफंड के दावे को सीजीएसटी नियमावली के नियम 96 के अंतर्गत अधिमान नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपूर्ति माल को भारत से बाहर भेजे जाने/ ले जाने के पश्चात् हो रही है ।

8. उपरोक्त स्थिति नीचे दिए गए उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट की गई है:

उदाहरण:

i) *मैसर्स एबीसी ने भारत से बाहर निर्दिष्ट वस्तुओं की* 100 *इकाइयों को भेजा है । ऐसे निर्दिष्ट माल को केवल भारत से बाहर भेजने/ले जाने की गतिविधि कोई आपूर्ति नहीं है । इस मामले में कोई कर चालान जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु निर्दिष्ट माल सीजीएसटी नियमावली के नियम* 55 *में निहित प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए वितरण चालान के साथ भेजा जाएगा। यदि निर्दिष्ट माल की सम्पूर्ण मात्रा को निकालने जाने की तिथि से छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर वापस लाया जाता है, तो कोई कर चालान जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस तरह के मामले में कोई आपूर्ति नहीं हुई है । तथापि, निर्दिष्ट वस्तुओं की सम्पूर्ण मात्रा को निकालने जाने की तिथि से छह माह के भीतर न तो बेचा जाता है और न ही वापस लाया जाता है, तो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (7) के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के भीतर सीजीएसटी नियमावली के नियम 46 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 और धारा 31 में निहित*

प्रावधानों के अनुसरण में, निर्दिष्ट माल की सम्पूर्ण 100 इकाइयों हेतु एक कर चालान जारी किया जाना अपेक्षित होगा ।

ii) *मैसर्स एबीसी ने भारत से बाहर निर्दिष्ट वस्तुओं की* 100 *इकाइयों को भेजा है । ऐसे निर्दिष्ट माल को भारत से बाहर भेजने/ले जाने की गतिविधि कोई आपूर्ति नहीं है । इस मामले में कोई कर चालान जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु निर्दिष्ट माल सीजीएसटी नियमावली के नियम* 55 *में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसरण में जारी किए गए वितरण चालान के साथ जायेगा । माना कि भेजने/ले जाने के एक महीने के पश्चात् विदेश में निर्दिष्ट माल की* 10 *इकाइयाँ बिकती हैं, तथा भेजने/ले जाने के दो माह पश्चात् अन्य* 50 *इकाइयाँ बेची जाती हैं, सीजीएसटी नियमावली के नियम 46 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 और धारा 31 के प्रावधानों के तहत ऐसी प्रत्येक बिक्री के समय, एक कर चालान सीजीएसटी नियमावली के नियम 46 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 और धारा 31 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसरण में 10 इकाइयों और 50 इकाइयों, जैसा भी मामला हो, के लिए जारी किया जाना अपेक्षित होगा । यदि शेष* 40 *इकाइयों को निकाले जाने की तिथि से छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर वापस नहीं लाया जाता है, 40 इकाइयों हेतु एक कर चालान जारी किया जाना अपेक्षित होगा । इसके अलावा,* 60 *इकाइयों की शून्य-दर आपूर्ति के संबंध में सीजीएसटी नियमावली के नियम* 89 *के उप-नियम (*4*) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा* 54 *की उप-धारा (*3*) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, मैसर्स एबीसी संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा कर सकता है ।*

9. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की संदर्भों के प्रचार हेतु उपयुक्त व्यापार नोटिस को जारी किए जाए ।

10. उपरोक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, को बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

(उपेन्द्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)

<u>भारत से भेजे/ले जाए गए तथा वापस लाए गए/विदेश में बेचे गए निर्दिष्ट माल का रिकॉर्ड</u>

फोलियो सं../संदर्भ सं.	निर्दिष्ट माल का विवरण	मात्रा ईकाई (सं./ ग्राम/नग आदि)	मूल्य प्रति यूनिट	निर्दिष्ट माल का कुल मूल्य	व्यवसाय के स्थान से निकालने की तिथि	वितरण चालान सं. और तिथि		पोतपरिवहन बिल सं. और तिथि		आपूर्ति किए गए निर्दिष्ट माल का विवरण (अर्थात् वापस नहीं लाया गया निर्दिष्ट माल)		चालान सं. और तिथि		वापस लाए गए निर्दिष्ट माल का विवरण		प्रविष्टि-बिल सं. और तिथि	
						सं.	तिथि	सं.	तिथि	मात्रा	मूल्य	सं.	तिथि	मात्रा	मूल्य	सं.	तिथि
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**	**(18)**